विदेशी मुद्रा गतिविधियां

1. भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय) व्यापार समझौते

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया जाता है कि इसके बाद 24 सितंबर 2012 से इसमें पुन: और संशोधन हुआ है और तदनुसार, 27 सितंबर 2012 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 75.037184 रुपए नियत किया गया है।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 38,
4 अक्तूबर 2012]

2. भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण - समग्र उच्चतम लागत सीमा की समीक्षा

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण से संबंधित 30 मार्च 2012 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 100 और 11 सितंबर 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

यह निर्णय लिया गया है कि भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण हेतु 11 सितंबर 2012 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 28 के पैराग्राफ 4 के तहत यथा विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम लागत सीमा अगली समीक्षा करने तक लागू बनी रहेगी।

व्यापार ऋण संबंधी नीति के सभी अन्य पहलू यथावत रहेंगे।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 39,
09 अक्तूबर 2012]

3. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति - समग्र उच्चतम लागत सीमा की पुनरीक्षा

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) से संबंधित 30 मार्च 2012 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 99 की ओर आकृष्ट किया जाता है । यह निर्णय लिया गया है कि 30 मार्च 2012 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 99 में यथा विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम लागत सीमा अगली समीक्षा करने तक बनी रहेगी । बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी नीति के सभी अन्य पहलू यथावत रहेंगे।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 40,
09 अक्तूबर 2012]

4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र में विदेशी निवेश - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना में संशोधन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र विशेष-शर्तों से संबंधित 28 जून 2012 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 137 के संलग्न बी की क्रम सं. 24.2 के साथ पठित, समय - समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के जरिये रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सरकार के साथ परामर्श करके अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परिपत्र में नीचे दर्शाये अनुसार कतिपय शर्तों में संशोधन किया जाए:

(i) 75 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश वाली और (ii) कमसे कम 50 मिलियन अमरिकी डालर के पूंजीकरण वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विशिष्ट गतिविधियों के लिए, परिचालनगत अनुषंगी संस्थाओं की संख्या के प्रतिबंध के बिना तथा अतिरिक्त पूंजी लाए बिना, सहयोगी संस्थाओं की स्थापना कर सकती हैं। अत: **डीआईपीपी के 10 अप्रैल 2012 के परिपत्र 1 पैरा 3.10.4.1 में समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति पर न्यूनतम पूंजीकरण संबंधी दी गई शर्तें सहयोगी संस्थाओं के लिए लागू नहीं हैं।**

28 जून 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 137 में क्रम सं. 24.2 में निहित अन्य सभी शर्तें यथावत बनी रहेंगी।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी 3 अक्तूबर 2012 के प्रेस नोट सं. 9 (2012 सीरीज) की प्रतिलिपि संलग्न है।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 41,
10 अक्तूबर 2012]

5. फिन-नेट (FINnet) गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टों को अपलोड करना

कृपया 27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 17 [ए.पी.(एफएल/आरएल सीरीज) परिपत्र सं. 04] के संलग्नक का एफ-भाग-III देखें, जिसमें प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियम 2005 के तहत यथा अपेक्षित रिपोर्टिंग फार्मेट विनिर्दिष्ट किए गए थे। इस संबंध में, हम आपका ध्यान वित्तीय आसूचना एकक-भारत के 31 मार्च 2011 के पत्र एफ.सं. 9-29/2011-एफआईयु-आईएनडी की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया गया था कि वे रिपोर्टिंग फार्मेटों अर्थात नकदी लेनदेन रिपोर्टों (सीटीआरएस) तथा संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्टों (एसटीआरएस) का अध्ययन करें और एक्सएमएल फार्मेट विशेषताओं से युक्त रिपोर्टें जेनरेट करने की क्षमता विकसित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने और वित्तीय आसूचना एकक-भारत द्वारा सूचित किए जाने पर नए फार्मेट लागू करने के लिए तैयार रहें।

वित्तीय आसूचना एकक-भारत ने अब अपने 28 अगस्त 2012 के पत्र एफ.सं.9-29/2011- एफआईयु-आईएनडी (पत्र की विषय वस्तु संलग्नक में दी गयी है) द्वारा सूचित किया है कि सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को ईलेक्ट्रानिक पद्धति से रिपोर्ट अपलोड करने की अपनी क्षमता की परख करने के लिए 31 अगस्त 2012 से फिन-नेट गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टें प्रस्तुत करना आरंभ करना चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों को वित्तीय आसूचना एकक-भारत द्वारा परियोजना के 'गो-लाइव' होने के बारे में सूचित करने तक, 'टेस्ट मोड' में इस प्रकार की प्रस्तुति जारी रखें। प्राधिकृत व्यक्तियों से यह भी अपेक्षित है कि वे अगली सूचना प्राप्त होने तक वर्तमान अपेक्षा के अनुसार सीडी में मौजूदा रिपोर्टें प्रस्तुत करना जारी रखेंगे। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय आसूचना एकक-भारत की अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई करें।

27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17 के जरिये जारी सभी अन्य अनुदेश, समय-समय पर यथा संशोधित, यथावत बने रहेंगे।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 42,
12 अक्तूबर 2012]

6. फिन-नेट (FINnet) गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टों को अपलोड करना

कृपया 27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 18 [ए.पी.(एफएल/आरएल सीरीज) परिपत्र सं. 05] का संलग्न- III देखें, जिसमें प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) के लिए धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियम, 2005 के तहत यथा अपेक्षित रिपोर्टिंग फार्मेट विनिर्दिष्ट किए गए थे। इस संबंध में, हम आपका ध्यान वित्तीय आसूचना एकक-भारत के 31 मार्च 2011 के पत्र एफ.सं. 9-29/ 2011-एफआईयु-आईएनडी की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को सूचित किया गया था कि वे रिपोर्टिंग फार्मेटों अर्थात नकदी लेनदेन रिपोर्टों (सीटीआरएस) तथा संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्टों (एसटीआरएस) का अध्ययन करें और एक्सएमएल फार्मेट विशेषताओं से युक्त रिपोर्टें जेनरेट करने की क्षमता विकसित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने और वित्तीय आसूचना एकक-भारत द्वारा सूचित किए जाने पर नए फार्मेट लागू करने के लिए तैयार रहें।

वित्तीय आसूचना एकक-भारत ने अब अपने 28 अगस्त 2012 के पत्र एफ.सं. 9-29/2011- एफआईयू-आईएनडी (पत्र की विषय वस्तु संलग्नक में दी गयी है) द्वारा सूचित किया है कि सभी प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को ईलेक्ट्रानिक पद्धति से रिपोर्ट अपलोड करने की अपनी क्षमता की परख करने के लिए 31 अगस्त 2012 से फिन-नेट गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टें प्रस्तुत करना आरंभ करना चाहिए। प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) को वित्तीय आसूचना एकक-भारत द्वारा परियोजना के 'गो-लाइव' होने के बारे में सूचित करने तक 'टेस्ट मोड' में इस प्रकार की प्रस्तुति जारी रहेगी।

प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) से यह भी अपेक्षित है कि वे अगली सूचना प्राप्त होने तक वर्तमान अपेक्षा के अनुसार सीडी में मौजूदा रिपोर्टें प्रस्तुत करना जारी रखेंगे। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों (भारतीय एजेंटों) तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय आसूचना एकक-भारत की अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई करें।

27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.18 [ए.पी.(एफएल/आरएल सीरीज) परिपत्र सं. 05] के जरिये जारी सभी अन्य अनुदेश, समय-समय पर यथा संशोधित, यथावत बने रहेंगे।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 43,
12 अक्तूबर 2012]

7. विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई) आरए] / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते [एफसीएनआर (बी)] की जमाराशियों की जमानत पर अनिवासियों/तीसरे पक्ष को ऋण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों तथा प्राधिकृत बैंकों (बैंकों) का ध्यान जमा खाते में धारित निधियों की जमानत पर ऋण देने के संबंध में, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना

सं. फेमा 5/2000-आरबी के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 6 तथा अनुसूची 2 के पैराग्राफ 9 की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसके अलावा, बैंकों का ध्यान 28 अप्रैल 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 66 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते [एफसीएनआर (बी)] में धारित निधियों की जमानत पर जमाकर्ताओं अथवा तीसरे पक्षों को ऋणों के संबंध में मौजूदा ₹20 लाख की सीमा बढ़ा कर ₹100 लाख कर दी जाए।

फेमा, 1999 के तहत व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए गठित समिति (अध्यक्ष: श्रीमती के.जे. उदेशी) ने सिफारिश की है कि बैंक, खाता धारक अथवा तीसरे पक्ष को मार्जिन अपेक्षाओं की शर्त के अधीन, अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते [एफसीएनआर (बी)] में शेष राशि की सीमा तक भारत में रुपये में ऋण अथवा भारत से बाहर विदेशी मुद्रा में ऋण मंजूर कर सकते हैं। इस बाबत मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गयी है और विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 की अनुसूची-2 के पैराग्राफ 9(1) के साथ पठित अनुसूची-1 के पैराग्राफ 6 (डी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बैंक अब जमाकर्ताओं अथवा तीसरे पक्षों को अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते [एफसीएनआर (बी)] पर निम्नानुसार ऋण प्रदान कर सकते हैं:-

	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
भारत में रुपया ऋण*		
अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते [एफसीएनआर (बी)] गत मीयादी जमाराशियों पर ऋण	लागू उच्चतम सीमा ₹100 लाख	सामान्य मार्जिन अपेक्षाओं की शर्त के अधीन, किसी उच्चतम सीमा के बगैर, जमाकर्ता/तीसरे पक्ष को रुपया ऋण देने की अनुमति दी जा सकती है**
भारत में/भारत से बाहर विदेशी मुद्रा ऋण**		
अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते [एफसीएनआर (बी)] गत मीयादी जमाराशियों पर ऋण	लागू उच्चतम सीमा ₹100 लाख	सामान्य मार्जिन अपेक्षाओं की शर्त के अधीन, किसी उच्चतम सीमा के बगैर, जमाकर्ता/तीसरे पक्ष को विदेशी मुद्रा ऋण की अनुमति दी जा सकती है**

* 'ऋण' शब्द में सभी तरह की निधि आधारित/गैर-निधि आधारित सुविधाएं शामिल होंगी।

** एफसीएनआर जमाराशियों के मामले में, मार्जिन अपेक्षा विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 की अनुसूची-2 के पैराग्राफ 9 (2) के अनुसार जमाराशियों के समतुल्य रुपये पर काल्पनिक रूप से आकलित की जाएगी।

इसके अलावा, अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते की जमाराशियों के समय पूर्व आहरण की सुविधा ऐसे मामलों में उपलब्ध नहीं होगी जहाँ ऐसी जमाराशियों पर ऋण लिये जाने हैं। यह अपेक्षा ऋण की मंजूरी के समय जमाराशि के धारक के ध्यान में विशेष रूप से लायी जाए। मौजूदा ऋण, जो उल्लिखित अनुदेशों के अनुरूप नहीं हैं, मौजूदा अवधि तक जारी रहेंगे तथा उन्हें रोल-ओवर/पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा। अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते की जमाराशियों पर ऋण प्रदान करने संबंधी अन्य शर्तें यथावत बनी रहेंगी। उल्लिखित अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 44,
12 अक्तूबर 2012]

8. भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं - विदेशी संस्थागत निवेशक

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की [अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000] विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) विनियमावली, 2000 और 28 दिसंबर 2010 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 32 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों के खाते रखने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों की केवल नामित शाखाओं को विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में भारत में ईक्विटी और/या कर्ज (debt) में हुए उनके संपूर्ण निवेश के किसी तारीख विशेष को बाजार मूल्य के संबंध में मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए मार्केट मेकर के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी गयी है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में ईक्विटी और/या कर्ज (debt) में हुए उनके संपूर्ण निवेश के किसी तारीख विशेष को बाजार मूल्य के संबंध में मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत किसी भी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से संपर्क करने की अनुमति दी जाए:

i. कवर के लिए पात्रता नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा दिए गए मूल्यांकन प्रमाणपत्र तथा विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा दिए गए इस आशय के घोषणा पत्र कि उसके ग्लोबल बकाया हेजेस तथा सभी प्राधिकृत व्यापारी

श्रेणी-I बैंकों के मार्फत रद्द की गयी डेरिवेटिव संविदाएं उसके निवेशों के बाज़ार मूल्य के भीतर है, के आधार पर निर्धारित की जाए।

ii. विदेशी संस्थागत निवेशक कस्टोडियन बैंक को एक तिमाही घोषणापत्र भी देंगे कि सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के पास बुक की गयी डेरिवेटिव संविदाओं की कुल राशि उनके निवेशों के बाज़ार मूल्य के भीतर है।

iii. नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से भिन्न प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के पास बुक किए गए हेजेस का निपटान आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिये पदनामित बैंक के पास रखे गए विशेष अनिवासी रुपया खाते के माध्यम से किया जाना है। 27 नवंबर 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17 [ए.पी.(एफएल/आरएल सीरीज) परिपत्र सं. 04] के जरिये जारी सभी अन्य अनुदेश, समय-समय पर यथा संशोधित, यथावत बने रहेंगे।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 45,
22 अक्तूबर 2012]

9. विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेडएस) द्वारा विदेशी मुद्रा में भुगतान पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों (डीटीएएस) की इकाईयों को माल और सेवाओं की आपूर्ति

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 16 जून 2003 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 105 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों (डीटीएएस) की इकाईयों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेडएस) की इकाईयों द्वारा उन्हें किए गए माल की आपूर्ति के संबंध में भुगतान करने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों से विदेशी मुद्रा की खरीद करने की अनुमति दी गयी है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से इस विषय की समीक्षा की गयी है तथा यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों (डीटीएएस) की इकाईयों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेडएस) की इकाईयों को उनके द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा बेचने की अनुमति दी जाए। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त (डीसी) द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों को जारी अनुमोदन पत्र (एलओए) में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीएए) को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेडएस) की इकाईयों द्वारा इन माल/सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेडएस) की इकाईयों को माल/सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए स्वीकृति संबंधी प्रावधान हो।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 46,
23 अक्तूबर 2012]

10. माल और सेवाओं का निर्यात - सॉफ्टेक्स क्रियाविधि का सरलीकरण और पुनरीक्षण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 27 फरवरी 2001 की अधिसूचना सं. फेमा. 36/ 2001 - आरबी द्वारा यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000-आरबी अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 6 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (STPIs) अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्रों (FTZs) अथवा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZs) अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के नामित अधिकारियों को सॉफ्टेक्स फॉर्मों के जरिये घोषित निर्यातों को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

हाल ही की कालावधि में, भारत से सॉफ्टवेयर निर्यातों की मात्रा में हुई वृद्धि/आयी उछाल, उसमें निहित कार्य-संविदा की जटिलता, संविदा करारों का विशाल स्वरूप तथा प्रत्येक संविदा के निष्पादन में निहित/लगनेवाली अवधि के साथ ही साथ सॉफ्टेक्स फॉर्मों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में लगने वाले लंबे समय को ध्यान में रखते हुये, 15 फरवरी 2012 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 80 के जरिये सरलीकृत एवं संशोधित सॉफ्टेक्स क्रियाविधि लागू की गयी थी। प्रारंभ में संशोधित क्रियाविधि भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) बेंगलूर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और मुंबई में 01 अप्रैल 2012 से लागू की गयी थी।

चूँकि संशोधित क्रियाविधि 5 नामित केंद्रों पर सफलतापूर्वक चल रही है, अत: यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संशोधित क्रियाविधि भारत में सभी भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (STPIs) में तत्काल प्रभाव से लागू की जाए।

संशोधित क्रियाविधि के अनुसार, सॉफ्टवेयर निर्यातक, जिसका वार्षिक पण्यावर्त न्यूनतम ₹1000 करोड़ है अथवा जो वर्ष में अखिल भारतीय आधार पर 600 सॉफ्टेक्स फॉर्म फाइल करता है, हमारे 15 फरवरी 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 80 में दर्शाये गए अनुसार एक्सेल फॉर्मेट में एक विवरण प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा।

[ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 47,
23 अक्तूबर 2012]